

भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट

1.	जिले का नाम	पाली
2.	आवेदक संस्था का नाम / पता व विवरण	श्री सुखदेव गहलोत पुत्र नारायणलाल गहलोत वेलनिक इण्डिया प्रा0 लिमिटेड कालाकोट तहसील रायपुर (पाली)
3.	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	संलग्न है ।
4.	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	2018-19 का संलग्न है ।
5.	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	संलग्न है ।
6.	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुमति है ? उसका विवरण	हाँ है । आवेदक की ग्राम कालाकोट में आवेदित भूमि के चारों तरफ खातेदारी भूमि (औद्योगिक संपरिवर्तित) में मेहन्दी उद्योग पूर्व से संवाहित है ।
7.	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	मेहन्दी उद्योग विस्तार हेतु आवेदक को नियमानुसार कीमतन आवंटन की अनुशंषा की जाती है ।
8.	संस्था द्वारा नार्मस से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	नार्मस से अधिक नहीं है ।
9.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी । यदि हां तो उसका विवरण	तहसील रायपुर में आवेदक को पूर्व में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है ।
10.	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा ? व क्या लाभ मिलेगा ?	परियोजना के विस्तार से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा ।
11.	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण राजस्व ग्राम का नाम खसरा नम्बर किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबन्दी व राजस्व नवशों के	ग्राम कालाकोट के खसरा नम्बर 269 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 2.17 बीघा, खसरा नम्बर 274 रकबा 1.01 बीघा एवं खसरा नम्बर 262 रकबा 31.15 बीघा में से 1.10 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा किस्म गै0मु0 भाखर
12.	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	रुपये 25551/- प्रति बीघा
13.	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	-
14.	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	रुपये 1,39,255/- यानि 1,40,000/-रुपये
15.	चाही गई भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0दर	रुपये 25551/- प्रति बीघा
16.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है ।	नहीं ।
17.	क्या भू-उपयोग परिवर्तन होना है ? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय, परिधीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	हाँ । ग्रामीण
18.	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है ।	आवेदित भूमि पर निर्माण नहीं है ।
19.	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	-
20.	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है ।	नहीं ।
21.	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबन्दी, राजस्व नक्शा तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	संलग्न है ।
22.	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह भूमि है । यदि हां तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशांषा संलग्न है या नहीं । चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं है । आवेदित भूमि की किस्म गै0मु0 भाखर है ।
23.	यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पेशीफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एनओसी संलग्न है ।	नहीं ।
24.	भूमि नगरीय क्षेत्र की होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं ।
25.	यदि मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है ?	नहीं ।
26.	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है ।	नहीं ।
27.	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है ।	राजस्थान भू0राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के तहत
28.	विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की वेब साईट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण	

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्सम्बन्धी संतुष्टि कर ली गई एवं तदानुसार उक्त प्रकरण में नियमानुसार कीमतन भू-आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है ।

पटवारी हल्कोट, जयपुर

तहसीलदार
जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

18/6/19
जिला पटवारी
पाली (राज.)